116

उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग–2
संख्या–3098 / 14–2–12–4(16) / 2012
लखनऊ, दिनांक 11 जनवरी, 2013

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रुप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2. उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर, वन बन्दोबस्त अधिकारी, सोनभद्र को उक्त वन के सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रुप में नियुक्त करते हैं ।

अनुसूची

क0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा सं0	क्षेत्रफल (हे0)	सीमा वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनभद्र	दुद्धी	दुद्धी	किरवानी	306 ग 307 308 क 308 ख 309 ख	0.3330 0.6000 1.0930 1.1780 0.8480	उत्तर–खसरा न0 304 दक्षिण–गडिया वन ब्लाक कक्ष सं0 18 पूरब–खसरा सं0 312 पश्चिम– गडिया वन ब्लाक कक्ष सं0 19
				योग	5 किता	4.0520	

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

आज्ञा से,

(वी0एन0गर्ग)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

118

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : किरवानी   परगना : (दुद्धी)   तहसील : दुद्धी   जनपद : सोनभद्र   फसली वर्ष : 1425-1430   भाग : 1   खाता संख्या : 00170

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
वनप्रभाग उ.प्र.सरकार रेनुकूट / . / नि. ग्राम	306गमि 307 308क 308ख 309खमि	0.3330 0.6000 1.0930 1.1780 0.8480		
योग	5	4.0520		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (पुर्खड (गाटा) के वाद ग्रस्त / विक्रय / सह-खाता / नामांतरण / वाही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण प्रारूप के तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

Scanned with CamScanner